न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद, स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 320/2005
जुगुप्ता बनाम विवेक आदि

01.02.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 145ग2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 145ग2 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा मूल पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा दिनांकित 17.09.2002 न्यायालय तहसीलदार धनघटा, सन्तकबीर नगर में दाखिल खारिज के मुकदमे विवेक आदि बनाम राममूरत वाद सं0 क्रमशः 458, 459 एवं 460 में मूल रूप से दाखिल किया था। वादिनी की तरफ से भी अपने अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर खारिज दाखिल का मुकदमा जुगुप्ता बनाम राममूरत आदि वाद सं0 539, 540, 541 दाखिल किया गया। कुल 6 मुकदमे एकजाई हो करके जुगुप्ता बनाम राममूरत लीडिंग फाइल मानते हुए चल रही थी। प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र 86ग2 दिए जाने पर आदेश दिनांक 09.05.2013 द्वारा दाखिल खारिज की कुल 6 पत्रावलियां तहसील से तलब होकर दिनांक 12.09.2013 अदालत में आई हैं, जो मूलवाद के साथ बंधी हुई हैं। प्रतिवादी के गवाह डी0डब्ल्यू0 4 लालचन्द्र सिंह एडवोकेट शपथपत्र के माध्यम से दिनांक 15.07.2016 को साक्ष्य कागज सं0 143क2 दाखिल किया गया, परन्तु जब गवाह को इसको साबित करने के लिए बुलाया गया और पत्रावली में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित 17.09.2002 को मूलरूप से सिद्ध करने का पेशकार ने प्रयास किया तो उक्त दस्तावेज तत्काल पत्रावली में नहीं मिला। इस कारण गवाही आगे नहीं कराया जा सका। विवश होकर हम प्रतिवादी इस आधार पर एक प्रार्थनापत्र 144ग2 दिए, जिस पर दिनांक 05.08.16 तारीख पड़ी है। सही तथ्यों की जानकारी हेतु हम प्रतिवादी के तरफ से दिनांक 23.07.16 को पत्रावली का मुआयना करने से पता चला कि तहसील से तलब मूल पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2002 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि दिनांक 23.10.2013 को प्रतिवादी के गवाह श्रीमती पेमशीला ने अपने बयान में पृष्ठ सं0 5 पर उक्त वसीयतनामा को साबित किया है, जिससे बखूबी साबित है कि गवाह के बयान होने तक वसीयतनामा पत्रावली में उपलब्ध था। विदित हो कि वादिनी इसके पूर्व हम प्रतिवादी के पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2002 के हासिया गवाह हरीलाल को अपनी साजिश में करके अपनी तरफ से गवाह पी0डब्ल्यू0 4 के रूप में पेश किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादी का मूल दस्तावेज दिनांकित 17.09.2002 को ढुढवा करके पत्रावली पर रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 147ग दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि कथित वसीयतनामा तलबीदा पत्रावली में कभी नहीं था और न है। मात्र कार्यालय के उपर झूठा इल्जाम लगा कर गवाही को टालने के लिए गलत प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। प्रतिवादी द्वारा कई पत्रावलियां कई बार में सन्तकबीर नगर के तहसील घनघटा से तलब करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन प्रतिवादी को ही नहीं पता कि घनघटा में इनके किस पत्रावली में कथित फर्जी वसीयतनामा की मूल कापी दाखिल है। पिछली तारीख को ही प्रतिवादी के कथनानुसार अदालत हाजा के पेशकार महोदय ने पत्रावली में उक्त कागज को ढूढने का प्रयास किया, लेकिन जब उक्त पत्रावली में तहसील से ही मूल दस्तावेज लग कर आया है तो उसका मिलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादी मात्र मुकदमे को निर्णीत न हो, इसलिए बार–बार एक न एक दरख्वास्त देते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थनापत्र 145ग2 खारिज होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र 145ग2 के प्रकाश में कार्यालय से आख्या आहूत की गयी। वादलिपिक/वरिष्ठ सहायक श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 12.04.2017 कागज सं0 148ग के जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय के आदेश के द्वारा न्यायालय तहसीलदार घनघटा, जिला सन्तकबीरनगर से मूलवाद से संबंधित पत्रावली तलब की गयी थी। तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया। तलबशुदा पत्रावली में सूचीपत्र के अनुसार किसी भी मूल दस्तावेज का इन्द्राज नहीं किया गया है और न ही कोई मूल दस्तावेज तलबशुदा पत्रावली में संलग्न है। प्रतिवादीगण द्वारा शपथपत्र 151ग के जरिए कार्यालय आख्या पर आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया कि गवाह डी0डब्ल्यू0 1 प्रेमशीला ने अपने बयान दिनांक

23.10.2013 को पेज 5 पर मूल दस्तावेज को देखकर उसको साबित किया है। उक्त के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि डी0डब्ल्यू0 1 साक्षी श्रीमती प्रेमशीला ने अपनी मुख्य परीक्षा में पेज 5 पर यह बयान दिया है कि ''मेरे प्रार्थनापत्र पर तहसील घनघटा में जो मुकदमा खारिज दाखिल का चल रहा था, वह पत्रावली इस मुकदमे में तलब हो गयी है। मेरे ससुर राममूरत मेरे लड़के विवेक व कमलेश को जो वसीयतनामा लिखे हैं, असल दस्तावेज बैनामा पत्रावली के साथ तलब होकर आयी है। तलबशुदा पत्रावली में वसीयतनामा दिनांक 17.09.2002 को देखकर के गवाह ने बताया कि यह वही वसीयतनामा है, जो मेरे ससुर ने मेरे लड़कों के नाम लिखा है''। आगे गवाह की जिरह की गयी। तलबशुदा पत्रावली वाद सं0 458 विवेक बनाम राममूरत न्यायालय तहसीलदार घनघटा की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सूचीपत्र में क्रम सं0 7 पर सबूत मय वसीयतनामा खतौनी पत्रावली में सूचीबद्ध किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु वाद सं0 458 की पत्रावली मूल वसीयत दिनांकित 17.09.2002 वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। न्यायालय की राय में संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सूचित किया जाना न्यायसंगत होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को उपरोक्त के संदर्भ में पत्र प्रेषित किया जाए एवं पत्र की एक प्रति इस पत्रावली में भी रखी जाए।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 145ग2 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त के संदर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को पत्र प्रेषित हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती